

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

.....बनाम.....
रामकुमार सतीश शर्मा

दावा बाबत :- 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :- 16/12021


निर्णय दिनांक :- 08-10-2021



वादी की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० 2 ता० 6 की ओर से वकील सरजीव विजारीण्य की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्री 17 ए ए ए के खाला सं 131/50 के मुं. नं. 26 किला नं 14/1, 15/1, 17/1. मु. नं. 40 किला नं 16/1, 17/1, 24 व 25 मु. नं. 47 किला नं 4 व 5 कुल 1.808 हेक्टेयर नदरी 1.050 हेक्टेयर बाराही 0.683 हे० गै० मु० खाला 0.075 हे० नदरी (बाही खेतयारी वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता० 6 व वादी की भाला स्व० सुरस्ती के नाम से खेतयारी दर्ज है। मैं से वादी का भाला स्व० सुरस्ती का नाम कलमजून किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 को क्विडिस्सा बराबर के खेतयार काश्तकार बोधित किया जाते हैं। मुंकि प्रतिवादी सं० 3 ता० 6 ने अपना सम्पूर्ण स्व० व क्विडिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के पास में त्याग कर ग्रुप कर दिया है इसलिए त्याग किया गये क्विडिस्सा पर रजिस्ट्रेशन विभाग को देय रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं स्वाम्य उभूरी अदा करने व जे० के रखे तो रखे मुंका होने के उपरान्त ही राजस्व रिकॉर्ड के अमल परामर्श किया जावे। व खाला ही राजकुमार का नाम के स्थान पर रामकुमार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड सुरन्त किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.10.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़